कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2020–21 दिनांक–04/01/2021 के तहत् श्री पुरूषोत्तम थोरी, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, प्रतापनगर (जोधपुर) का स्थानातरण राउमावि, खेतरली (पाली) किया गया। श्री पुरूषोत्तम थोरी ने अपने स्थानान्तरण के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–3351/2021 श्री पुरूषोत्तम थोरी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर की।

उक्त याचिका में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक–24.02.2021 में याचिकार्थी को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार की नीति के परिपेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री पुरूषोत्तम थोरी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की माताजी–पिताजी वृद्व होने, पुत्री जोधपुर शहर में अध्ययनरत होने, बोर्ड परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहने के आधार पर अपना स्थानान्तरण संशोधन कर जोधपुर के निकटतम रिक्त स्थान पर अपना पदरथापन 1–राउमावि धनारी खुद, 2–राउमावि, बाला, 3–राउमावि, पडासला, 4–सेठ रामरख मालानी राउमावि, पीपाडशहर, 5–राउमावि मतोडा, जोधपुर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मदद्नेजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./पुरूषोत्तम थोरी/3351/2021 दिनांक– 26-2-2021

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
  1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
  2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
  3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
  4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/पाली
  5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
  6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
  7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
  8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner